न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/4 **दायरा दिनांक : 07.01.2025**

उनवान

1. कन्हैयालाल आत्मज हजारी पारेता, आयु 59 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
2. कैलाश चन्द आत्मज हजारी पारेता, आयु 50 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
3. नानूराम आत्मज लक्ष्मण, आयु 85 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
4. बाबूलाल आत्मज दुलीचन्द, आयु 62 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
5. सीताराम आत्मज दुलीचन्द, आयु 68 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. पुष्पाबाई पत्नी जुगलकिशोर, आयु 46 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
2. कंचन बाई पुत्री गोपी पत्नी बापूलाल, आयु 70 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम भोजपुर (सेमली), तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)
3. कमला बाई पुत्री हीरा पत्नी अशोक कलाल, जाति कलाल, उम्र 58 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11 राय मोहल्ला माचलपुर, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)
4. केसरबाई पत्नी स्वर्गीय हीरा कलाल, जाति कलाल, आयु 92 वर्ष, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
5. किशनाबाई पुत्री रामनाथ पारेता पत्नी लक्ष्मीनारायण पारेता, आयु 56 वर्ष, जाति कलाल, निवासी अखाड़े की तलाई, मदारी खां तालाब, जिला झालावाड (राज0)
6. गीताबाई पुत्री गोपी पत्नी नन्दा जी कलाल, आयु 58 वर्ष, निवासी अकलेरा कलाल धर्मशाला टंकी के पास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
7. गीता बाई पुत्री हीरा कलाल पत्नी मांगीलाल, जाति कलाल, आयु 62 वर्ष, निवासी महादेव मन्दिर के पास बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
8. तुलसीराम पुत्र रामनाथ पारेता, आयु 64 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
9. धापूबाई पत्नी रामनाथ पारेता, आयु 60 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
10. चौथमल आत्मज स्वर्गीय नारायण पारेता, आयु 45 वर्ष, जाति कलाल, निवासी नई बस्ती, गणेश मन्दिर के पास बायपास भोपाल रोड़, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
11. दुलीचन्द आत्मज स्वर्गीय नारायण पारेता, आयु 40 वर्ष, जाति कलाल, निवासी नई बस्ती, गणेश मन्दिर के पास बायपास भोपाल रोड़, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
12. सुरेश आत्मज नारायण पारेता, आयु 36 वर्ष, जाति कलाल, निवासी नई बस्ती, गणेश मन्दिर के पास बायपास भोपाल रोड़, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
13. रामकंवरी पुत्री नारायण पत्नी श्रीलाल, निवासी जामा मस्जिद के पास, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
14. पुष्पाबाई पुत्री नारायण पारेता पत्नी ओमप्रकाश, आयु 45 वर्ष, जाति कलाल, निवासी छीपाड़ौद, अकलेरा नाका लालबाई चौक, तहसील छीपाबडोद (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15. बद्रीलाल पुत्र हीरालाल कलाल, जाति कलाल, आयु 56 वर्ष, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
16. बसन्तीबाई पुत्री रामनाथ पारेता पत्नी मदनलाल पारेता, आयु 53 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम कोटडी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
17. मांगीबाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैया पारेता पत्नी मनीष पारेता आत्मज कल्याण पारेता, आयु 36 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा हाल निवास लव कुश पार्क के सामने, सेक्टर नं. 2 राजपूत कालोनी, केशवपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
18. मोहनलाल पुत्र गोपी कलाल, आयु 68 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
19. रतन बाई पुत्री हजारी पारेता पत्नी गोविन्द पारेता, आयु 50 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम डूंडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
20. रूपाबाई पुत्री हजारी पारेता मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
    20/1 राजेश आत्मज राधेश्याम माता रूपाबाई, आयु 38 वर्ष, जाति कलाल, निवासी गरनावद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
    20/2 दिनेश आत्मज राधेश्याम माता रूपाबाई, आयु 32 वर्ष, जाति कलाल, निवासी गरनावद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
    20/3 अजय आत्मज राधेश्याम माता रूपाबाई, आयु 26 वर्ष, जाति कलाल, निवासी गरनावद, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)
    20/4 सुनीता पुत्री राधेश्याम माता रूपाबाई पत्नी रामस्वरूप, आयु 35 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भीमसागर सारोला, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
    20/5 किरण पुत्री राधेश्याम माता रूपाबाई पत्नी चन्द्र प्रकाश पारेता, आयु 32 वर्ष, जाति कलाल, निवासी फूटीबडौद, हरनावदा शाह जी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
21. रामकंवरी बाई पुत्री हीरा पत्नी पन्ना लाल कलाल, आयु 58 वर्ष, निवासी कोली मोहल्ला अचरावा, पंचायत गोलाना,, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
22. रामचन्द आत्मज गोपी कलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    22/1 ललित आत्मज स्वर्गीय रामचन्द्र, आयु 45 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
    22/2 विष्णु आत्मज स्वर्गीय रामचन्द्र, आयु 42 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
    22/3 दिनेश आत्मज स्वर्गीय रामचन्द्र, आयु 38 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
    22/4 मधु पुत्री स्वर्गीय रामचन्द पत्नी पूरणमल राय, आयु 47 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भोलाराम जी के मन्दिर के पास, माचलपुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)
    22/5 सुशीला पत्नी स्वर्गीय रामचन्द्र, आयु 65 वर्ष, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
23. लालचन्द आत्मज गोपी कलाल, जाति कलाल, आयु 63 वर्ष, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
24. लाल चन्द आत्मज हीरा कलाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    24/1 दिनेश आत्मज लालचन्द कलाल, आयु 30 वर्ष, जाति कलाल, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
    24/2 राहुल आत्मज लालचन्द कलाल, आयु 24 वर्ष, जाति कलाल, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
    24/3 किरण पुत्री लालचन्द पत्नी विजय जायसवाल कलाल, आयु 28 वर्ष,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवासी इतवारिया बाजार, सुसनेर, जिला राजगढ (मध्यप्रदेश)
24/4 रीना पुत्री लालचन्द पत्नी श्यामलाल कलाल, आयु 24 वर्ष, निवासी चौसला, जिला राजगढ (मध्यप्रदेश)
24/5 पूजा पुत्री लाल चन्द कलाल, आयु 22 वर्ष, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)

25. शांतिबाई पुत्री हीरा पत्नी स्वर्गीय कजोडीलाल कलाल, जाति कलाल, आयु 66 वर्ष, निवासी अकलेरा हाट चौक मोहल्ला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
26. सुगन बाई पुत्री हजारी पारेता पत्नी उदालाल पारेता, आयु 52 वर्ष, जाति कलाल, निवासी ग्राम पनवासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज0)
27. सीताराम पुत्री हीरा कलाल, जाति कलाल, आयु 63 वर्ष, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोक कुमार गूर्जर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : **06.02.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 956/दावा/2022 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 पुष्पाबाई ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा, पटवारी हल्का मोलक्याखुर्द, तहसील बकानी, जिला झालावाड (राज0) संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 75 पुराना 75 के खसरा नं. 10 रकबा 0.8219 हेक्टेयर, खसरा नं. 129 रकबा 1.1254 हेक्टेयर, खसरा नं. 150 रकबा 0.8449 हेक्टेयर, खसरा नं. 151 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, खसरा नं. 153 रकबा 0.3288 हेक्टेयर, खसरा नं. 222 रकबा 0.9610 हेक्टेयर, खसरा नं. 231 रकबा 0.3794 हेक्टेयर, खसरा नं. 232 रकबा 0.5690 हेक्टेयर, खसरा नं. 299 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा नं. 300 रकबा 0.2908 हेक्टेयर, खसरा नं. 348 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, खसरा नं. 349 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, खसरा नं. 350 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, खसरा नं. 351 रकबा 0.3541 हेक्टेयर, खसरा नं. 352 रकबा 0.3794 हेक्टेयर, खसरा नं. 399 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, खसरा नं. 5 रकबा 0.5690 हेक्टेयर, खसरा नं. 52 रकबा 1.1001 हेक्टेयर, खसरा नं. 56 रकबा 0.2150 हेक्टेयर, खसरा नं. 59 रकबा 0.4552 हेक्टेयर, खसरा नं. 6 रकबा 0.9863 हेक्टेयर, खसरा नं. 8 रकबा 0.1517 हेक्टेयर, खसरा नं. 9 रकबा 0.6449 हेक्टेयर, कुल किता 23 कुल रकबा 10.3689 हेक्टेयर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2024 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रह–सार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस/प्रतिवादीगण के साथ न्याय नहीं किया गया। अपीलान्टस/प्रतिवादीगण काश्तकार है। अपीलान्ट प्रतिवादी पेशे से काश्तकार व कानून पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडन्टस की विधिनुसार न्यायालय में हाजिर होने हेतु तहसील के माध्यम से नोटिस जारी किये जाते और सभी पक्षकारान को न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले विवाद्यक के सम्मन प्राप्त हुये या नहीं के संबंध में जांच कर उनके विरूद्ध कानूनी रूप से आदेश जारी किये जाते। इसी प्रकार यदि पोस्ट ऑफिस से तामील भिजवाई जाती तो उनकी प्राप्ति हेतु रजिस्टर्ड ए०डी० के सम्मन जारी किये जाने चाहिए थे और बाद तामील ए०डी० की जांच की जाकर संबंधित पक्षकार को व्यक्तिगत तामील हुई या नहीं इस संदर्भ में प्रत्येक के लिये पृथक–पृथक आदेश जारी किये जाते, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07.2023 को जारी आदेश जिसमें वादी पुष्पाबाई को पोस्ट ऑफिस की प्रतिवादीगण की तामील हेतु कन्फर्म रसीद पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना वादी पुष्पाबाई ने नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2024 को अपने ही आदेश को नजर अंदाज कर सभी के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही अमल में लाकर सभी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी और अपीलान्ट को जवाब हेतु दिनाक 05.06.2024 प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को जवाब हेतु दिनाक 05.06.2024 जारी की लेकिन उसी दिन दिनांक 06.06.2024 साक्ष्य वादी में भी प्रदान कर दी जो कि न्यायालय की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। दिनांक 05.06.2024 से अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण लगातार उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी न्यायालय से ज्ञात करते रहे लेकिन पत्रावली अधिकारी के पास हस्ताक्षर हेतु रखे जाने की जानकारी दी जाती रही। अपीलान्ट प्रतिवादीगण को उक्त पत्रावली पर तारीख पेशी ज्ञात करने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय होने की जानकारी दिनांक 19.08.2024 को ज्ञात हुई कि प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया तब अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने नकल हेतु आवेदन किया गया जो अपीलान्ट को दिनांक 30.09.2024 को प्रदान की गई। अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं निर्णय का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर, जवाब के संदर्भ में आदेश किये बगैर एवं तनकियात के संदर्भ में मौन रहकर साक्ष्य वादी का अवसर देने के बाद साक्ष्य वादी, वादी/रेस्पोडेन्ट पुष्पाबाई ने अपनी साक्ष्य बन्द करवाकर सीधे ही बहस कर ली और राजस्व वाद साबित हुये बगैर ही वाद वादी स्वीकार कर दावा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया। जो कि विधि की घोर अवेहलना है। न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बंटवारा तहसील से मंगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया। निर्णय में अपीलान्ट की उपस्थिति भी एकतरफा दर्ज कर दी गई। उक्त की जानकारी अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को प्रदान नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विवादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में एक अन्य राजस्व वाद धापू बाई बनाम पुष्पाबाई वगैरह प्रकरण संख्या से लम्बित चला आ रहा है। जिसका प्रकरण संख्या 944/2022 है। रेस्पोडेन्ट वादी पुष्पाबाई पक्षकार है। इसके धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.07.2022 से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो दिनांक 29.07.2024 को न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के दौरान उस वाद के प्रतिवादी रेनुका कुमारी, राजेश व इस वाद की वादी पुष्पाबाई के विरुद्ध ताफैसला मूल वाद ग्राम उम्मेदपुरा के खाता संख्या 75 व 59 में उक्त वाद को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने से रोक दिया गया है एवं उपपंजीयक बकानी से उक्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजियात के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विलेख पंजीबद्ध करने से रोक दिया गया है। नकल आदेश प्रति संलग्न है। इस वाद में वादीगण धापूबाई, बादामबाई भूलीबाई ने अपने हक अधिकार की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2004 एवं प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त कराया जाये व अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का दावा खारिज किया जावे तथा अपीलान्ट प्रतिवादीगण को एवं अन्य पक्षकारान को अपना जवाब दावा रिकार्ड पर पेश करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत सुनवाई कर प्रकरण का निर्णय करने हेतु आदेशित फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.09.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पुष्पाबाई के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष दिनांक 21.08.2022 को इस आशय का एक वाद बाबत विभाजन आराजियात प्रस्तुत किया कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ की आराजियात खाता संख्या नया 75 एवं खाता संख्या पुराना 75 की कृषि आराजीयात क्रमशः खसरा नम्बर 10, 129, 150, 151, 153, 222, 231, 232, 299, 300, 348, 349, 350, 351, 352, 399, 5, 52, 56, 59, 6, 8, 9 कुल 23 किता रकबा 10.3689 हैक्टेयर के अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही हैं। जिसके विभाजन हेतु वाद हेतुक दिनांक 20.07.2022 से उत्पन्न होना बताकर वाद लाया गया। न्यायालय द्वारा विभाजन को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। जिसमें प्रतिवादी/अपीलान्ट्स ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.12.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से वकालतनामा प्रस्तुत कर अपनी हाजरी दर्ज करवाई और शेष अन्य 39 प्रतिवादीगण के लिये हाजरी हेतु तलबी के आदेश जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने शेष की तलबी हेतु जरिये पोस्ट ऑफिस के आदेश जारी किये जिसने दिनांक 16.04.2024 को प्रतिवादीगण की तामील हेतु कन्फर्म रसीद पेश करने हेतु वादी रेस्पोडेन्ट को आदेश दिया और प्रकरण दिनांक 08.05.2024 को नियत किया गया। दिनांक 08.05.2024 को वकील वादी/रेस्पोडेन्ट पुष्पाबाई ने प्रतिवादीगण की पुनः तलबी पेश करने में असमर्थता जाहिर की। उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस की रसीदे पेश की गई लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस प्राप्त होने के संदर्भ में न्यायालय के आदेश जिसमें कन्फर्म रसीद पेश करना था, उसे पेश नहीं किया और न्यायालय ने सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत होने की जानकारी के अभाव में होते हुये भी सभी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल में लाई गई तथा प्रकरण को अपीलान्ट प्रतिवादीगण के जवाब में दिनांक 05.08.2024 को रखी जाकर साथ में साक्ष्य वादी में दिनांक 06.06.2024 नियत कर दी। दिनांक 05.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स का जवाब पेश होने से पूर्व ही वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस की प्रार्थना की और वाद स्वीकार कर विभाजन हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर न्यायिक कार्यवाही सम्पादित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर अवैधानिक रूप से राजस्व एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को दरकिनार करते हुये उक्त वाद पत्र को विधि विरुद्ध डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने सम्मानीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडन्टस की विधिनुसार न्यायालय में हाजिर होने हेतु तहसील के माध्यम से नोटिस जारी किये जाते और सभी पक्षकारान को न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले विवाद्यक के सम्मन प्राप्त हुये या नहीं के संबंध में जांच कर उनके विरूद्ध कानूनी रूप से आदेश जारी किये जाते। इसी प्रकार यदि पोस्ट ऑफिस से तामील भिजवाई जाती तो उनकी प्राप्ति हेतु रजिस्टर्ड ए०डी० के सम्मन जारी किये जाने चाहिए थे और बाद तामील ए०डी० की जांच की जाकर संबंधित पक्षकार को व्यक्तिगत तामील हुई या नहीं इस संदर्भ में प्रत्येक के लिये पृथक–पृथक आदेश जारी किये जाते जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07.2023 को जारी आदेश जिसमें वादी पुष्पाबाई को पोस्ट ऑफिस की प्रतिवादीगण की तामील हेतु कन्फर्म रसीद पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना वादी पुष्पाबाई ने नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2024 को अपने ही आदेश को नजर अंदाज कर सभी के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही अमल में लाकर सभी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी और अपीलान्ट को जवाब हेतु दिनांक 05.06.2024 प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को जवाब हेतु दिनांक 05.06.2024 जारी की लेकिन उसी दिन दिनांक 06.06.2024 साक्ष्य वादी में भी प्रदान कर दी जो कि न्यायालय की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। दिनांक 05.06.2024 से अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण लगातार उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी न्यायालय से ज्ञात करते रहे लेकिन पत्रावली अधिकारी के पास हस्ताक्षर हेतु रखे जाने की जानकारी दी जाती रही। अपीलान्ट प्रतिवादीगण को उक्त पत्रावली पर तारीख पेशी ज्ञात करने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय होने की जानकारी दिनांक 19.09.2024 को ज्ञात हुई कि प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया तब अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने नकल हेतु आवेदन किया गया जो अपीलान्ट को दिनांक 30.09.2024 को प्रदान की गई। अपीलान्ट्स/ प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं निर्णय का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट्स/ प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर, जवाब के संदर्भ में आदेश किये बगैर एवं तनकियात के संदर्भ में मौन रहकर साक्ष्य वादी का अवसर देने के बाद साक्ष्य वादी वादी/रेस्पोडेन्ट पुष्पाबाई ने अपनी साक्ष्य बन्द करवाकर सीधे ही बहस कर ली और राजस्व वाद साबित हुये बगैर ही वाद वादी स्वीकार कर दावा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया। जो कि विधि की घोर अवेहलना है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विवादग्रस्त आराजी के संदर्भ में एक अन्य राजस्व वाद धापू बाई बनाम पुष्पाबाई वगैरह प्रकरण संख्या से दिनांक 18.07.2022 से लम्बित चला आ रहा है। जिसका प्रकरण संख्या 944/2022 हैं। जिसमें रेस्पोडेन्ट वादी पुष्पाबाई पक्षकार है। इसके धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.07.2022 से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो दिनांक 29.07.2024 को न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के दौरान उस वाद के प्रतिवादीगण रेणुका कुमारी, राजेश व इस वाद की वादी पुष्पाबाई के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद ग्राम उम्मेदपुरा के खाता संख्या 75 व 59 में उक्त वाद को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने से रोक दिया गया है एवं उपपंजीयक बकानी से उक्त आराजियात के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विलेख पंजीबद्ध करने से रोक दिया गया है। नकल आदेश प्रति संलग्न है। इस वाद में वादीगण धापूबाई, बादामबाई व भूलीबाई ने अपने हक अधिकार की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अपील अपीलाट स्वीकार फरमाई जाकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2024 एवं प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त फरमाया जावें व अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का दावा खारिज किया जावे तथा अपीलान्ट प्रतिवादीगण को एवं अन्य पक्षकारान को अपना जवाब दावा रिकार्ड पर पेश करने का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत सुनवाई कर प्रकरण का निर्णय करने हेतु आदेशित फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की तलबी रजिस्टर्ड ए.डी. से करवायी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश देन पर हमने पोस्ट आफिस में रसीद हेतु नेट पर देखा परन्तु रिकार्ड नष्ट किया जा चुका था। हमारा दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का था अपीलांट का दावा घोषणा का था, पुष्पाबाई ने न्यायालय हाजा में अपील करने पर पुष्पा बाई खातेदार होने से टी.आई. की अपील खारिज कर दी जिससे अप्रसन्न होकर रेवेन्यु बोर्ड में अपील की। रेवेन्यु बोर्ड ने टी.आई. की अपील स्वीकार की। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबंदी के अनुसार ही दावा डिक्री किया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2014(4) डब्ल्यू.एल.सी.(राज.) पेज 756 एच.सी., 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1167 एस.सी. की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश कर कथन किया है कि नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का मोलक्याखुर्द, तहसील बकानी, जिला झालावाड की खाता संख्या नया 75 की कुल किता 23 रकबा 10.3689 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 35 सहखातेदार है। उक्त वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से सहखातेदार वादी को वर्णित भूमि में अपना अलग रूप से हक व अधिपत्य दर्शित करने, भूमि को उन्नत और विकसित करने में दिक्कत आ रही है। अतः आराजी का विधिवत विभाजन व लगान का विधिवत वितरण किया जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2024 से वाद वादी स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं. 75 की कुल किता 23 कुल रकबा 10.3689 हेक्टर भूमि में से वादी का दर्ज 1/6 हिस्सा पृथक खाते दर्ज किया जावे। तहसीलदार बकानी ''राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955'' की अध्याय 04 में नियम 18 से 21 में प्रकिया अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भिजवाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी कम 2, 4, 11, 19 व 35 के द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 2, 4, 11, 19 व 35 के रूप में पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.12.2022 के अनुसार अपीलांट प्रतिवादी कम 2, 4, 11, 19 व 35 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुर्जर का वकालतनामा पेश हुआ। तत्पश्चात पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी के इन्तजार एवं तलबी की कन्फर्म रसीद पेश करने के आदेश की पालना में जैरकार रही। दिनांक 16.04.2024 की आदेशिका के अनुसार वकील वादी कन्फर्म रसीद पेश करने हेतु समय चाहते हैं। कन्फर्म रसीद पेश करें अन्यथा पुनः रजिस्टर्ड तलबी पेश करें तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.05.2024 नियत की गई। अन्य प्रतिवादी की जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी सम्मन की तलबी की कन्फर्म रसीद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होना पत्रावली के अवलोकन से साबित नहीं होता। रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सामान्य सम्मन जारी नहीं किये गये, जो आदेश 5 सी. पी. सी. के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। दिनांक 08.05.2024 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 06.06.2024 को पेश हो, अंकित करने के पश्चात पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के जवाब में दिनांक 05.06.2024 को पेश हो, आदेश अंकित किया गया, तत्पश्चात दिनांक 05.06.2024 की आदेशिका में यह अंकित किया गया कि पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे बहस की इस्तदुआ की। बहस वकील वादी सुनी गई। वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिकी किया गया, यह आदेश अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.05.2024 एवं 05.06.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही सीधे वकील वादी की एक तरफा बहस सुनकर वादी का वाद प्राथमिक डिकी किया गया है, जो सी.पी.सी. में न्यायालय की प्रकिया हेतु निर्धारित विधिक प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2024 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.04.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/02/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा